... उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
...ान अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.
...जस्व वाद प्रकरण संख्या : 35/2018
दायरा तिथि : 19.12.2018
फैसला तिथि : 5-9-2019

प्रार्थी :–

परबतसिंह पुत्र शम्भुसिंह जाति राजपूत
निवासी बिसलपुर तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण (प्रभावित खातेदारान) :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. सहायक अभियंता सा.नि.वि., फालना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करने के लिए अनुमत बाबत

आदेश

दिनांक : 5-9-2019

प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 निर्धारित प्ररूप मे प्रस्तुत कर धारित खातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर के ख.न. 1323/1, 1327/4, 564 को सिंचित करने हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा संख्या 2064 एवं राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा संख्या 1322, 1305, 1302, 1077, 661, 520 मे से भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करने के लिये अनुमत किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त नियमो के नियम–69 के अन्तर्गत तहसीलदार बाली से विस्तृत मौका जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही अन्य खातेदारान को आपेक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

इस संबंध मे तहसीलदार, बाली ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2019/279 दिनांक 11.02.2019 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार :–

1. प्रार्थी आवेदक के द्वारा ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 23/1 रकबा 0.12 है, खसरा नंबर 1327/4 रकबा 0.17 है, भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। व खसरा नंबर 564 रकबा 3.87 है भूमि गिरधारीसिंह, इन्दरसिंह, परबतसिंह पि. शंभूसिंह जातिगण राजपूत के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारी भूमि को सिंचित करने के लिए खसरा नंबर 1323/1 मे खुदे हुए टियूबवेल मे से अपनी खातेदारी भूमि को सिंचित करने हेतु भूमिगत पाईपलाईन स्थापित करने की अनुमति दिलाने बाबत आवेदन किया है। मौके पर आवेदित भूमिगत पाईपलाईन सरकारी भूमि के खसरा नंबर 1322, 1305, 1302, 520, 975, 974 मे से होते हुए एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि के खसरा नंबर 1077, 661 मे से होकर पाईपलाईन निकलेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया जाना प्रस्तावित होगा।
2. भूमिगत पाईपलाईन जहा से बिछाई जाना प्रस्तावित है उक्त भूमि का खसरेवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1322	0.24	गे.मु. नाला	22 मीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	1305	0.69	गे.मु. रास्ता	235 मीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
[illegible]	1302	7.50	गे.मु. भाखर	700 मीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
4	520	2.70	गे.मु. रास्ता	1120 मीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
5	975	0.07	गे.मु. रास्ता	100 मीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
6	974	4.67	गे.मु. सडक	26 मीटर	सार्वजनिक निर्माण विभाग
[illegible]	661	4.86	गे.मु. सडक	100 मीटर	सार्वजनिक निर्माण विभाग

पेज लगातार---2

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2018 अनवान परबतसिंह बनाम तहसीलदार बाली वगैरा अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की असिंचित सडक के पास की डी.एल.सी. दर 40950 रूपये प्रति बीघा है एवं असिंचित सडक से दूर की डी.एल.सी. दर 23940/– रूपये प्रति बीघा है।
4. प्रस्तावित भूमिगत पाईप लाईन डालने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि के खसरा नंबर 1077, 661 मे से होकर पाईपलाईन निकलेगी सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते की भूमि पर मौके पर डामर की पक्की सडक बनी हुई है। जिस बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया जाना अपेक्षित है। अतः तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को सिंचाई हेतु भूमि भूमिगत पाईप लाईन बिछाने की अनुमति दिये जाने की अभिशंषा की गई है।

सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. फालना द्वारा जरिये पत्रांक : सअ. /फालना/2019–20/10 दिनांक 08.04.2019 अनुसार प्रार्थी द्वारा 564 खसरे मे सिंचाई हेतु पानी की लाईन ले जाना चाहा है जिसके कारण विभाग की दो सडके बोया, बलवना सडक किमी. 10/0 से 11/0 एवं बीजापुर बिसलपुर सडक 10/0 से 11/0 क्षतिग्रस्त होगी जिसके कारण 9251.00 रूपये का राजस्व घाटा होगा। विभाग के नियमानुसार सडक को काटने से पूर्व सडक काटने का चार्जेज जमा कराने के उपरान्त सडक को काटने की अनुमति दी जावेगी।

इस संबंध मे प्रार्थी खातेदार द्वारा जरिये बुक संख्या 0069413 रसीद संख्या 0000093 दिनांक 17.07.2019 से राशि रूपये 9251/– रूपये जमा करवाकर रसीद की फोटो प्रति इस न्यायालय मे पेश की।

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं अभिशंषा के अनुसार भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करने से प्रभावित खातेदारो की भूमि के प्रतिकर राशी का निर्धारण नियमो के नियम 70 (i) (ख) के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र. स.	नाम खातेदार	प्रस्तावित भूमिगत पाईप लाईन से प्रभावित भूमि का विवरण					डी.एल.सी दर 23940/– प्रति बीघा की दर से दस प्रतिशत देय प्रतिकर राशी (रूपये)
		नाम ग्राम	ख.न.	रकबा	किस्म	प्रभावित क्षैत्रफल (वर्ग फीट)	
1	राजकीय सिवाय चक भूमि	बिसलपुर	1322	0.24	गे.मु. वाला	22 मीटर	33/–
2	राजकीय सिवाय चक भूमि	बिसलपुर	1305	0.69	गे.मु. रास्ता	235 मीटर	351
3	राजकीय सिवाय चक भूमि	बिसलपुर	1302	7.50	गे.मु. भाखर	700 मीटर	1047
4	राजकीय सिवाय चक भूमि	बिसलपुर	520	2.70	गे.मु. रास्ता	1120 मीटर	1676
5	राजकीय सिवाय चक भूमि	बिसलपुर	975	0.07	गे.मु. रास्ता	100 मीटर	150
6	राजकीय सिवाय चक भूमि	बिसलपुर	974	0.41	बारानी दोयम	22 मीटर	33
					कुल	2199 मीटर	3290
डी.एल.सी. दर 40950/– रूपये प्रति बीघा की दर से दस प्रतिषत देय प्रतिकर राशि (रूपये)							
7	सार्वजनिक निर्माण विभाग	बिसलपुर	1077	4.67	गे.मु. सडक	26	65
8	सार्वजनिक निर्माण विभाग	बिसलपुर	661	4.86	गे.मु. सडक	100 मीटर	256
					कुल	126	321

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार––3

Scanned by CamScanner

अन्य विविध प्रकरण संख्या 35/2018 अनवान परबतसिंह बनाम तहसीलदार बाली वगैरा अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आवेदक खातेदार द्वारा सा.नि.वि. फालना मे जरिये बुक संख्या 0069413 रसीद संख्या 0000093 दिनांक 17.07.2019 से राशि रूपये 9251/– रूपये जमा करवा दिये है जिसकी अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। जिससे वर्तमान मे अब कोई राशि शेष नही है।

उपरोक्तानुसार पाईप लाईन स्थापित करने देय प्रतिकर राशि **3290/–** रूपये **अक्षरे तीन हजार दो सौ नब्बे रूपये** राज्य सरकार को देय होगा एवं नियमानुसार तहसील कार्यालय बाली मे आवेदक द्वारा जमा करवाया जावेगा

अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (A) सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–69 एवं 70(1)(ख) के अन्तर्गत परबतसिंह पुत्र शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी बिसलपुर तहसील बाली को धारित जोत को सिंचित करने के लिए आत्यांतिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए खसरा नंबर 1322, 1305, 1302, 520, 975, 974 व 1077, 661 मे से कम से कम 3 फीट गहराई तक जल के प्रवाह को अवरूद्व किये बिना भूमिगत पाईप लाईन संलग्न नक्शा मे लाल स्हायी से दर्शित स्थान पर स्थापित करने की अनुमति जारी की जाती है। आवेदक भूमिगत पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी एवं 2 फीट चौडी खाई खोदकर इस प्रकार से कि जल प्रवाह बाधित न हो स्थापित करेगे एवं पुनः खोदी गई खाई को समतल अपने व्यय से करेंगे। अनुमत की गई भूमि का उपयोग सिवाय भूमिगत पाईप लाईन स्थापित किये जाने के अलावा अन्य कोई क्षति धारित करने के लिए पाबन्द रहेंगा। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 5-9-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

1113–1118
16-9-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, बाली
2. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
3. भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर
4. पटवारी हल्का बिसलपुर
5. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., फालना
6. आवेदक खातेदार श्री परबतसिंह पुत्र शम्भुसिंह राजपूत निवासी बिसलपुर

उपखण्ड अधिकारी
बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.11.29 13:06:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: